समाहरणालय, रोहतास, सासाराम
(जिला विकास शाखा)

पत्रांक.....2............/वि0

प्रेषक,

उप बिकास आयुक्त,
रोहतास, सासाराम।

सेवा में,

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी,
रोहतास।

सासाराम, दिनांक ....4-1-16.......

विषय :— 1KWP क्षमता रूफटॉप सोलर पावर प्लांट के अधिष्ठापन हेतु लाभार्थी का चयन कर सूची उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :— उप निदेशक, ब्रेडा पटना का पत्रांक—1524, दिनांक—28.11.2015

महाशय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के आलोक में भारत सरकार द्वारा ग्रीन हाउस गैस को नियंत्रि करने हेतु प्रदुषण मुक्त अक्षय उर्जा संसाधनों के उपयोग को प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। इस मिशन के अन्तर्गत विद्युत उत्पादन हेतु **1KWP** क्षमता रूफटॉप सोलर पावर प्लांट के अधिष्ठापन की योजना है। उक्त योजना के लिए इस पत्र के साथ संलग्न प्रपत्रों में मार्गदर्शन के अनुसार आवेदन जिला पदाधिकारी महोदय के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाना है।

अतः अनुरोध है कि प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र में आवेदन अनुंशंसा के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि स्थल चयन हेतु तकनीशीयन को चयनित लाभुक के यहाँ भेजा जा सके।

अनुलग्नक :— तीन प्रपत्र चार पृष्ठों में।

विश्वासभाजन,

29.12

उप विकास आयुक्त
रोहतास, सासाराम।

बिहार रिन्युएबुल इनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी

तृतीय तल, सोन भवन

वीरचन्द पटेल पथ, पटना–1

लाभार्थी का अद्यतन पासपोर्ट साईज का फोटो

1 kWP सोलर पावर प्लान्ट के लिये आवेदन प्रपत्र

(मुख्यमंत्री नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा योजना अन्तर्गत)

"रूफ टॉप सोलर पावर प्लान्ट योजना"

1. लाभार्थी का नामः–..
2. पिता/पति का नामः–..
3. पूरा पता ....ग्राम..
   पंचायत..पो0..
   प्रखण्ड..जिला..
4. कुल छत की लम्बाई एवं चौड़ाई ....
5. मकान का औसत वर्ष ....
6. छत पूर्ण रूप से छाया रहित है या नहीं ....
7. छत की भार क्षमता 15 KG/Sq² मीटर है या नहीं ....
8. सोलर पावर प्लान्ट प्राप्त करने का प्रयोजन ....
9. मकान का दस्तावेज का प्रकार ....
10. लाभार्थी पहचान पत्र का प्रकार ....
11. अवासीय प्रमाण पत्र ....
12. पक्की सड़क मार्ग से साईट की दूरी..
    ....
13. क्या पूर्व में भी सोलर पावर प्लान्ट प्राप्त करने हेतु
    आपके द्वारा आवेदन दिया गया है या
    सोलर पावर प्लान्ट प्राप्त किया गया है।
14. क्या आपने सोलर पावर प्लान्ट किसी अन्य स्थान पर कार्यरत देखा है यदि हाँ तो इस संबंध में
    आपकी प्रतिक्रिया..
15. क्या ब्रेडा द्वारा निर्धारित लाभार्थी अंशदान वहन करने को तैयार है?..
    ....

16. छत यदि पुरानी है तो निर्माण वर्ष क्या है। छत बिल्कुल छाया रहित होना चाहिए। क्या छत के दक्षिण दिशा में भविष्य में कोई मकान बनाया जाना है या नहीं।

नोटः– अंशदान की राशि घट–बढ़ सकती है।

17. (क) मैं...सोलर पावर प्लान्ट प्राप्त करने लाभार्थी के रुप में राशि निर्धारित समय के अन्तर्गत जमा करने को तैयार हूँ अन्यथा आवेदन निरस्त करना मान्य होगा तथा मैं सोलर पावर प्लान्ट के अधिष्ठापन के बाद इसके रख–रखाव, पूर्णतया सुरक्षा, देखभाल की पूरी जिम्मेवारी लूँगा। पाँच वर्ष की वारन्टी अवधि के बाद इसमें उत्पन्न दोष को अपने खर्च पर दूर कर कार्यशील कराने की जवाबदेही पूर्णतया मेरी होगी। इस सोलर पावर प्लान्ट को बिना ब्रेडा की पुर्वानुमति किसी दूसरे लाभार्थी को हस्तान्तरित नहीं करुँगा।

(ख) मैं इस योजना के अन्तर्गत ब्रेडा/चयनित आपूर्तिकर्त्ता के साथ पाँच वर्ष का विहित प्रपत्र में अनुबंध हस्ताक्षर करने को इच्छुक हूँ।

(ग) मैं इस सोलर पावर प्लान्ट को कार्यरत रहने के संबंध में समय–समय पर ब्रेडा/जिला प्रशासन को जानकारी देता रहुँगा।

(घ) सोलर पावर प्लान्ट ब्रेडा के चयनित एजेन्सी द्वारा तकनीकी रुप में चयनित साईट पर ही स्थापित किया जायेगा। आवेदन मात्र देने से ही सोलर पावर प्लान्ट स्थापित करने का किसी प्रकार का दावा मै नहीं करुँगा। इस संबंध में जिला पदाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और यह मुझे मान्य होगा।

(च) प्रस्तावित सोलर पावर प्लान्ट साईट के चारों तरफ कोई पेड़, मकान आदि का छाया का अवरोध नहीं है।

(छ) आवेदन प्रपत्र में अंकित सभी सूचनाएँ सही है। कोई सूचना गलत पाये जाने पर जिम्मेवारी मेरी होगा।

आवेदक का नाम एवं पूरा हस्ताक्षर

दिनांक :–

पता :–

सोलर पावर प्लान्ट साईट निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी /तकनीशियन का जाँच प्रतिवेदन।

स्वीकृत/अस्वीकृत जिला पदाधिकारी	ब्रेडा के तकनीशियन का हस्ताक्षर	प्रखंड कृषि पदाधिकारी का हस्ताक्षर

शपथ–पत्र का प्रारुप

1. मैं...पिता...
   ग्राम...पो0..प्रखण्ड..................................
   थाना...जिला...का स्थायी निवासी हूँ।
2. मेरे द्वारा अपनी छत पर **<u>1 kWP सोलर पावर प्लान्ट</u>** अधिष्ठापन हेतु आवेदन देना है, जिसके लिए इस शपथ–पत्र की आवश्यकता है।
3. यदि मेरा आवेदन स्वीकृत होता है तो मैं अपने अंशदान की राशि जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित तिथि तक विर्निदिष्ट कार्यालय में जमा करूँगा।
4. मैं अपने छत पर पर अधिष्ठापित सोलर पावर प्लान्ट को किसी दूसरे व्यक्ति को स्थानान्तरित/बिक्री नहीं करूँगा।
5. सोलर पावर प्लान्ट अधिष्ठापित करने वाली एजेन्सी द्वारा 5 वर्ष के वार्षिक रख–रखाव के उपरान्त मेरे द्वारा अपने व्यय पर इसका रख–रखाव किया जायेगा।
6. अधिष्ठापित सोलर पावर प्लान्ट की देखभाल एवं सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी मेरी होगी।
7. अधिष्ठाापित सोलर पावर प्लान्ट का उपयोग अपने कार्य के लिए किंया जायेगा।
8. अधिष्ठापित सोलर पावर प्लान्ट का सम्पूर्ण स्वामित्व पाँच वर्ष के उपरान्त ही मेरा होगा।
9. मैं एतद् घोषणा करता/करती हूँ, की वर्णित योजना हेतु मैने दूसरा कोई आवेदन नहीं किया है एवं प्रायः ऐसा पाया जाय तो मेरी आवेदन निरस्त कर दिया जाय।
10. उपरोक्त किसी भी विन्दु पर दोषी पाये जाने पर मेरे विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

शपथकर्त्ता का हस्ताक्षर

अनुबंध
(100/– रू. स्टाम्प पेपर)

1. मै.. पिता.. ग्राम...
पो0..प्रखण्ड..थाना..
जिला ....का स्थायी निवासी हूँ।

2. मेरे अपनी छत पर **1 kWP सोलर पावर प्लान्ट** अधिष्ठापन हेतु आवेदन देना है, जिसके लिए इस शपथ–पत्र की आवश्यकता है।

3. मेरे मकान पर अधिष्ठापित सोलर पावर प्लान्ट की कुल लागत रू0.. .... है, जिसमे रू0.................................. नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली रू0.. राज्य योजना के माध्यम से ब्रेडा द्वारा एवं मेरा अंशदान इतना रू0.. है। जिसे मेरे द्वारा चेक/डाफ्ट/संख्या................ ....दिनांक................................ बैक का नाम............................... द्वारा जिलाधिकारी........................... .... के यहाँ जमा कर दिया गया है।

4. मै अपने मकान पर अधिष्ठापित सोलर पावर प्लान्ट को स्थानान्तरित नहीं करूँगा। साथ ही किसी दूसरे व्यक्ति को स्थानान्तरण/बिक्री नहीं करुँगा।

5. सोलर पावर प्लान्ट अधिष्ठापित करने वाली एजेन्सी द्वारा 5 वर्ष के वार्षिक रख–रखाव के उपरान्त मेरे द्वारा अपने व्यय पर इसका रख–रखाव किया जायेगा।

6. अधिष्ठापित सोलर पावर प्लान्ट की देखभाल एवं सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी मेरी होगी।

7. अधिष्ठापित सोलर पावर प्लान्ट का उपयोग कृषि कार्य एवं सिंचाई के लिए किया जायेगा।

8. अधिष्ठापित सोलर पावर प्लान्ट का सम्पूर्ण स्वामित्व पाँच वर्ष के उपरान्त ही मेरा होगा।

9. उपरोक्त किसी भी बिन्दु पर दोषी पाये जाने पर मेरे विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

प्रथम पक्ष लाभार्थी का
हस्ताक्षर पता के साथ

....
....
....

द्वितीय पक्ष एजेन्सी का
हस्ताक्षर एवं पूर्ण विवरण के साथ

....
....
....

दो गवाह (पूर्ण पता के साथ)

1...

2...